राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

विज्ञप्ति

दिनांक : 06.07.2018

आयोग द्वारा प्रधानाध्यापक (मावि) प्रतियोगी परीक्षा, 2018 के जारी विज्ञापन संख्याः 06 दिनांक 28.03.2018 के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि बढ़ाते हुए दिनांक 31.05.2018 की गई थी। कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा अध्यापन अनुभव/प्रशैक्षणिक योग्यता के अभाव में ऑनलाईन आवेदन नहीं कर पाने के कारण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर में याचिकाऐं दायर की गईं। ऐसी याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय ने ऑफलाईन/ऑनलाईन अथवा केवल ऑफलाईन आवेदन पत्र भरवाये जाने बाबत् आयोग को निर्देशित किया है। चूँकि आयोग द्वारा ऑन लाईन आवेदन पत्र ही आमंत्रित किए जाते हैं तथा ऑफ लाईन आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने सम्बन्धी कोई व्यवस्था नहीं है। परिणामस्वरूप आयोग द्वारा तत्सम्बन्धी आदेशों के परिप्रेक्ष्य में ऑनलाईन पोर्टल में आवश्यक तकनीकी संशोधन एवं आधार कार्ड नंबर अंकित करने की बाध्यता समाप्त करते हुए याची अभ्यर्थियों को केवल ऑनलाईन आवेदन करने हेतु स्पीड–पोस्ट पत्र एवं प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 14.05.2018 जारी करते हुए सूचित किया जा चुका है।

ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने माननीय न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा जारी उक्त विज्ञप्ति के तहत अभी भी ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत नहीं किये हैं उन्हें इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि प्रेस विज्ञप्ति के जारी होने की दिनांक से **07 दिवस की समयावधि में आयोग कार्यालय में कमरा नं. 32 में अपना ऑफलाईन विस्तृत आवेदन पत्र आयोग की वेबसाइट www.rpsc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर आवश्यक पूर्ति करते हुए विज्ञापन में उल्लेखित आवेदन शुल्क भा.पो.ऑ. संलग्न कर मय कोर्ट ऑर्डर के जमा करा देंवे ताकि उनके आवेदन उक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किये जा सकें।** निर्धारित समयावधि के पश्चात् इस सम्बन्ध में प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर आयोग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। उक्त भर्ती में विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत् रहेंगीं।

(पी0सी0बेरवाल)
सचिव